परिशिष्ट-1

प्रेषक चुनाव अधिकारी (पंचायत)
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् ---------------------
वार्ड नं०-------------जिला----------------------।

सेवा में

(उम्मीदवार का नाम)

विषय:- पंचायत चुनाव /उप चुनाव --------------ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्-----------वार्ड नं०------------जिला-------------।

आपसे प्राप्त नामांकन पत्र आज दिनांक----------------के संदर्भ में।

आपका नाम नामांकन रजिस्टर में क्रमांक ---------------- पर दर्ज कर लिया गया है। आपको परिशिष्ट II में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ पत्र इस सूचना के साथ देना होगा कि क्या आप किसी अयोग्यता के पात्र तो नही हैं ? मुझे यह सूचना दिनांक------------समय ------------से पहले प्राप्त होनी चाहिए।

आपकी जमानत राशि स्क्रोल नं०-----------------दिनांक-------------बैंक/खजाना का नाम------------------------द्वारा प्राप्त हो चुकी है या रसीद नं०----------------------दिनांक----------------जो आपको अलग से जारी की जा चुकी है द्वारा प्राप्त हो चुकी है । नामांकन पत्रों की छानबीन दिनांक--------------समय---------------और स्थान----------------------------पर की जायेगी।

आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में चुनाव खर्ज का खाता रखना है। और इसे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब भी वांछित हो निरीक्षण हेतू प्रस्तुत करना होगा। चुनाव खर्च खाता चुनाव परिणाम की घोषणा के एक माह के अन्दर-अन्दर उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत करना होगा।

चुनाव अधिकारी(पंचायत)
सहायक चुनाव अधिकारी(पंचायत)

परिशिष्ट-II

यादी क्रमांक:- -------------------- दिनांक:-

प्रेषक

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
----------------के लिए

सेवा में

(उम्मीदवार का नाम)

विषय:- ----------------वार्ड--------------चुनाव हेतु।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 की उप-धारा(1) के खण्ड(क) के उप खण्ड (i) तथा(ii) की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं जो कि आपकी जानकारी हेतू संलग्न है।

2. यह सूनिश्चित करने हेतू कि क्या आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 8 तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 175 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) तथा (ii) के अन्तर्गत आप किसी अयोग्यता के पात्र तो नही है, आपको वांछित सूचना सलंग्न प्रपत्र में एक हल्फीया ब्यान जो कि प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट या ओथ कमीशनर या नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।

3. यह ध्यान रहे कि आप द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत करने पर आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है ।

4. आपको यह भी ध्यान में रहे कि वांछित सूचना तुरन्त या दिनांक-----------समय--------बजे (नामांकन पत्रों की छानबीन के लिए निर्धारित तिथि तथा समय) से पहले अवश्यमेव प्रस्तुत की जानी होगी ।

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष
वार्ड --------------------
---------------------चुनाव हेतू

शपथ पत्र

मैं-------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री-------------------
आयु-------------वर्ष निवासी---------------------का रहने वाला हूं और अपने हलफ से निम्नलिखित ब्यान करता हूं :-

1. कि मैनें उपरोक्त चुनाव हेतू अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है/किये हैं।

2. कि मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) तथा (ii) के अंतर्गत उपरोक्त चुनाव सम्बन्धी अपनी उम्मीदवारी हेतु वांछित सूचना निर्धारित परिपत्र में निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत कर रहा हूं।

3. कि जो सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई हैं, वह मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और इसमें कोई भी तथ्य छुपाकर नहीं रखा गया है।

स्थान:- शपथकार,
दिनांक:-

पंच/सरपंच/ सदस्य पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव हेतू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 8 और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 की उप धारा(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(i) तथा(ii) के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली सूचना का प्रपत्र।

-------------------- वार्ड

----------------- चुनाव हेतु।

उम्मीदवार का नाम :-

पिता/माता/पति का नाम :-

1. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी मामले में दण्डित हैं। :- :-

   (i) ऐसे मामले जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) के अंतर्गत हों। :-

   (ii) ऐसे मामले जो उक्त धारा 175 की उप-धारा (ii) के अंतर्गत हों व जिनमें 6 मास से कम सजा ना की गई हो। :-

   (iii) ऐसे मामले जिनमें सजा दो वर्ष से कम ना की गई हो। :-

2. यदि हां, तो निम्न विवरण दें :- :-

   i) न्यायालय का नाम,जिस द्वारा दण्डित किया गया हो, :-

   ii) दण्डित किये जाने की तिथि :-

   iii) क्या आप सजा के समय सदस्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् थे। यदि हां, तो सदस्य ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/जिला परिषद् का ठीक विवरण दें। :-

   iv) अपराध का विवरण (सम्बन्धित अधिनियम तथा धाराओं के विवरण सहित) :-

   v) दी गई सजा :-

   vi) कारावास की अवधि, यदि कोई हो। :-

   vii) जेल से छूटने की तिथि :-

3. क्या उपरोक्त दण्ड के विरूद्ध कोई अपील/पुन: निरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। :- हां/नहीं

i) अपील/पुन:निरीक्षण याचिका दायर करने का नम्बर, यदि कोई हो। :-

ii) दायर की गई अपील/पुन: निरिक्षण याचिका की तिथि :-

iii) न्यायालय का नाम जिसमें अपील/पुन: निरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई। :-

iv) क्या दायर की गई अपील/पुन: निरीक्षण याचिका का निपटान हो चुका है या लम्बित है। :- निपटान हो चुका है/ लम्बित है।

v) यदि निपटान हो चुका हो :-
   (क) निपटान की तिथि :-
   (ख) आदेश का विवरण :-

vi) क्या अपील/पुन: निरीक्षण याचिका के लम्बित अवधि के दौरान जमानत प्रदान की गई।

vii) यदि हां, तो अवधि जिसमें जमानत पर रहे।

स्थान:- (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
दिनांक:-

धारा 8 :- कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता--(1) निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित होगा अर्थात् :-

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा इत्यादि पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का समवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171 ड. (रिश्वत का अपराध) या धारा 171च (निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376क या धारा 376ख या धारा 376घ (बलात्संग से सम्बन्धित अपराध) या धारा 498क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध), या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबन्धित अपराध; या

ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 (1955 का 22) जो "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे अपनी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करना है; या

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध); या

(घ) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिविरूद्ध धोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध(किसी विधिविरूद्ध संगम की विधियों के बरतने से संबधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के सम्बन्ध में किए गए आदेश के अल्लंघन से संबधित अपराध); या

(ड.) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम,1973 (1973 का 46); या

(च) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (1985 का 61); या

(छ) आंतकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1987 (1987 का (28) की धारा 3 (आंतकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध); या

(ज) धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम,1988 की धारा 7 (धारा 3 से 6 तक) के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध या

(झ) इस अधिनियम की धारा 125 (निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध) या धारा 135क (बूथों के बलात ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क) (किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध); या

(नं) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम,1991 की धारा 6 (किसी उपासना सील के संपरिवर्तन का अपराध)

(2) कोई व्यक्ति जो --

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि; या

(ख) खाद्य या औषधि के अपमिश्रण से संबधित किसी विधि; या

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961 (1961 का 28) के किन्हीं उपबंधों ; या

(घ) सती (निवारण) अधिनियम,1987 (1987 का 3) के किन्हीं उपबंधों;

के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

(4) उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी दोनो उपधाराओं में से किसी के अधीन निरर्हिता उस व्यक्ति की दशा में जो दोषसिद्धि की तरीख के संसद का या उसके राज्य विधानमण्डल का सदस्य है, तब तक प्रभावशील नही होगी जब तक उस तारीख से तीन मास न बीत गए हों, अथवा यदि उस कालावधि के भीतर उस दोषसिद्धि या दंडादेश की बाबत अर्थात अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है तो जब तक न्यायालया द्वारा उस अपील या आवेदन का निपटारा न हो गया हो।

स्पष्टीकरण इस धारा में:-

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाली विधि" से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है -

(i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन,

(ii) उस कीमत का नियत्रंण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके,

(iii) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन,कब्जे, भंडारन,परिवहन वययन,उपयोग या उपभोग का विनियमन ,

(iv) किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के विधारण का प्रतिषेध, जो मामूली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है,

(ख) "औषधि" का अर्थ है जो उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनयम, 1940(1940 का 23) में समनुदिष्ट है,

(ग) "आवश्यक वस्तु" का अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) में समनुदिष्ट है ।

(घ) "खाद्य" का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में समनुदिष्ट है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 से लिया गया उद्धरण

----

175. अयोग्यताएं

(1) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच उपसरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो --

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अथवा बाद में

(i) जब तक उसको सिद्ध दोषों से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशेष मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम,1955 (1955 का अधिनियम 22) के अधीन किसी अपराध का;

(ii) जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छ: मास के कारावास से दण्डित रहा हो।